न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 62/2018

1. प्रवीण कुमार आयु 20 साल आ0 ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज.
2. विशाल आयु 14 साल आ0 ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी जैथल नाबालिग जर्ये संरक्षक माता श्रीमति सुमन शर्मा पत्नि ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज.

—वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश आ0 गजानन्द जाति ब्राह्मण निवासी जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज.
2. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार के0 पाटन।

— प्रतिवादीगण

वाद :— अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि
अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थित :—

1. वादी की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, एडवोकेट
2. प्रतिवादी की और से श्री सुरेन्द्र कुमार मालव, एडवोकेट।

—: निर्णय :—

दिनांक —13.09.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 22.05.2018 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा का पेश किया गया।
1. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता सं. नया 30 की कृषि भूमि ख.सं. 2809/2 रकबा 1.70 है0, ख.सं. 2815 रकबा 0.95 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.65 है0 वाके ग्राम व माल जैथल तहसील केशवराय

उपखण्ड अधिकारी के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

पाटन जिला बून्दी राज. में विस्थित है तथा खाता सं. नया 6 की ख.सं. 2557 रकबा 2.43 है0, खसरा सं. 3066/2516 रकबा 0.03 है0, ख.सं. 3069/2568 रकबा 1.88 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.34 है0 वाके ग्राम व माल ओहडी (नवीन) तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में स्थित है। वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी भूमि है जो पुरखो से पीढी दर पीढी दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादीगण अपने हिस्से की 1/3–1/3 भूमि का हिस्से का पृथक–पृथक बंटवारा प्राप्त करना चाहते है। जबकि उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खाते में दर्ज होने से उक्त भूमि को रहन, बय व अन्यत्र हस्तानान्तरण करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को विधिवत रूप से 1/3–1/3 हिस्से का पृथक–पृथक बंटवारा दर्ज किया जावें।

2. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने वादी के वादपत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की और से दिनांक 11.09.2019 को राजीनामा पेश किया गया।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 11.09.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–::निर्णय::–

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता सं. 30 के खसरा सं. 2809/2 रकबा 1.70 है0 (सम्पूर्ण), ख.सं. 2815 रकबा 0.95 है0 (सम्पूर्ण) कुल किता 2 कुल रकबा 2.65 है0 वाके ग्राम व माल जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, वादी संख्या 1 प्रवीण कुमार आ0 ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी जैथल तहसील के0 पाटन के हिस्से में रहेगी। खाता सं. 6 के खसरा सं. 2557 रकबा 2.43 है0 (सम्पूर्ण) वाके ग्राम व माल ओहडी (नवीन) तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, वादी सं. 2 विशाल आयु 14 साल आ0 ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी जैथल नाबालिग जर्ये संरक्षक माता श्रीमति सुमन शर्मा पत्नि ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज. के हिस्से में रहेगी। खाता सं. 6 के

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

खसरा सं. 3066/2516 रकबा 0.03 है0 (सम्पूर्ण), ख.सं. 3069/2568 रकबा 1.88 है0 (सम्पूर्ण) कुल किता 2 कुल रकबा 1.91 है0 वाके ग्राम व माल ओहडी (नवीन) तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, प्रतिवादी सं. 1 ओमप्रकाश आ0 गजानन्द जाति ब्राह्मण निवासी जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज. के हिस्से में रहेगी तथा कृषि भूमि पर रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी * के0 पाटन *

13/9/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix ‘d’-1)

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन

प्रवीण कुमार V/S ओमप्रकाश वगै0

वाद– अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 62/2018

वादी की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार मालव की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 13.09.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

"वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता सं. 30 के खसरा सं. 2809/2 रकबा 1.70 है0 (सम्पूर्ण), ख.सं. 2815 रकबा 0.95 है0 (सम्पूर्ण) कुल किता 2 कुल रकबा 2.65 है0 वाके ग्राम व माल जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, वादी संख्या 1 प्रवीण कुमार आ0 ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी जैथल तहसील के0 पाटन के हिस्से में रहेगी। खाता सं. 6 के खसरा सं. 2557 रकबा 2.43 है0 (सम्पूर्ण) वाके ग्राम व माल ओहडी (नवीन) तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, वादी सं. 2 विशाल आयु 14 साल आ0 ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी जैथल नाबालिग जर्ये संरक्षक माता श्रीमति सुमन शर्मा पत्नि ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज. के हिस्से में रहेगी। खाता सं. 6 के खसरा सं. 3066/2516 रकबा 0.03 है0 (सम्पूर्ण), ख.सं. 3069/2568 रकबा 1.88 है0 (सम्पूर्ण) कुल किता 2 कुल रकबा 1.91 है0 वाके ग्राम व माल ओहडी (नवीन) तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0, प्रतिवादी सं. 1 ओमप्रकाश आ0 गजानन्द जाति ब्राह्मण निवासी जैथल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज. के हिस्से में रहेगी तथा कृषि भूमि पर रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।"

नीज ....ग................. मुबलिक ....ग.................. बाबत ....ग.. .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व ारह ....ग.................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग.................. को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 13.09.2019 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner